नं० 17 बा अदालत श्री ओ० पी० लोहान, एच० सी० एस० प्रसक्राईब्ड अथोरिटी चरखी दादरी, जिला भिवानी।

दिनांक 12 दिसम्बर, 1997

मिसल नं० .. 17/सरपलस

दायरा .. 12-7-93

तारीख फैसला .. 12-12-97

तहसील .. दादरी

जिला .. भिवानी।

राजबीरकौर बेवा गिरेन्द्र सिंह, सुमन कुमारी पुत्री गिरेन्द्र सिंह बजरिए राजकुमार पुत्र श्री देवी सिंह मुख्तारआम वासी चरखी दादरी, जिला भिवानी। .. सायलान

बनाम

हरियाणा सरकार बजरिए उप-तहसीलदार अग्रेरियन चरखी दादरी, जिला भिवानी। .. उतरवादी

दरखास्त बाबत राजबीरकौर व सुमन कुमारी की मुकदमा हजा में हाजरी नोट किए जाने व कार्यवाही मुकदमा बामुजिब हुकम अदालत माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट दिनांक 3-5-93 व 29-5-73 चालू किए जावे व पूरी किए जाने।

हाजरी:— श्री कपूर सिंह कोन्सल प्रार्थीगण
उप-तहसीलदार अग्रे० चरखी दादरी

आदेश

इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं:—

श्री गिरेन्द्र सिंह भूस्वामी ने दी पैप्सू टैन्नसी एन्ड एग्रीकलचरल लैन्ड एक्ट 1955 की धारा 32-बी के अन्तर्गत अपना घोषणा पत्र भरा था। जिसपर उसे बड़ा भूस्वामी मानते हुए उसकी भूमि दिनांक 7-9-72 को सरपलस घोषित की गई थी। इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका नं० 3982 आफ 1972 दायर की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29-5-1973 द्वारा यह निदेश दिए थे कि भूस्वामी का रकबा नियमानुसार पुनः देखकर उसे सरपलस घोषित किया जावे। इस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह निदेश दिए थे कि इस केस का निपटारा करते समय उनको नहीं सुना गया। इसलिए उन्हें सुना जाकर केस का निर्णय पुनः तथ्यों के आधार पर किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस केस में मुजारान व मालकान को मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा पहले ही सुन लिया उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था। श्री गिरेन्द्र सिंह को अपने पिता राजेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद तकशीम खानगी में ग्रामवार निम्न प्रकार से रकबा दिया गया था:—

क्रमांक	नाम गांव	सादा रकबा जो मिला	स्टैन्डर्ड रकबा जो मिला	
1	दादरी	13 4—— 32	3—2	रबी
2	डान्डमा	22 195—— 32	65—4	—

क्रमांक	नाम गांव	सादा रकबा जो मिला	स्टैन्डर्ड रकबा जो मिला	
3	महराना	157 15—— 160	7—10¾	बरानी
4	गैरवी	10 57—— 160	28—7½	भूड़
5	बीड़ समसपुर	10 119—— 160	59—10	—
6	समसपुर	60 5—— 160	2—11	
	कुल	32 397—— 160	166—13¼	

इसम से दोबारा माननीय हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 29-5-73 के अनुसार जांच पड़ताल करने पर तथा मुजारान

को सुनने के पश्चात 211 11/140 सादा एकड़ व 90—2½ स्टैन्डर्ड एकड़ रकबा देरीना मुजारान के कब्जे में है और 185 148/160 सादा

एकड़ व 76—10¾ स्टैन्डर्ड एकड़ मालिक की कास्त में वा जदीद मुजारान की कास्त में है। इस रकबा में से 68 185/160 सादा

एकड़ व 30—0 स्टैन्डर्ड एकड़ मालिक को छोड़कर शेष 117 63/160 सादा व 46—10—¾ स्टैन्डर्ड एकड़ रकबा सरपलस घोषित किया गया

था। जिसका विस्तार से विवरण मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा भी उनके आदेश दिनांक 30-11-76 में दिया गया है।

श्री गिरेन्द्र सिंह भूस्वामी ने अपने जीवनकाल में कभी भी सरपलस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की। इससे स्पष्ट है कि वह आदेश को अप्रत्यक्ष रूप में मानता था। उसके जीवनकाल में ही सरपलस रकबा को अलाटमैन्ट अथोरिटी दादरी ने सरपलस रकबा को नियमानुसार देरीना मुजारान को अलाट कर दिया। मुजारान को नियमानुसार उनको अलाट किए गए रकबे की किस्तें भी जमा करवा दी हैं। भूस्वामी का जो रकबा 7-9-92 द्वारा सरपलस घोषित किया गया था उसकी प्रति भी प्राप्त की हुई है। दिनांक 30-11-76 के आदेश द्वारा सरपलस घोषित किया गया था यह रकबा वर्ष 1972 में सरपलस घोषित किया गया रकबा ही है। भूस्वामी ने इस मुआवजा की राशि भी सरकार से नियमानुसार प्राप्त कर ली है। यदि उसे कोई एतराज था तो वह सरपलस घोषित रकबा की राशि ही प्राप्त ना करते इससे स्पष्ट है कि भूस्वामी सरपलस रकबा को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते थे। इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि दी पैप्सू टैन्नसी एण्ड एग्रीकलचरल एक्ट 1955 में भूस्वामी को अलग युनिट देने का कोई प्रावधान नहीं था। केवल मालिक को ही 30 स्टैन्डर्ड एकड रकबा दिया जा सकता है। भूस्वामी ने अपने प्रार्थना-पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई तहरीरी सबूत पेश नहीं किया जिसके अन्तर्गत उसके प्रार्थना-पत्र की पुष्टि होती हो। इन हालात में प्रार्थीगण द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र में कोई बल न पाते हुए उसे अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूस्वामी का निम्नलिखित रकबा :—

ग्राम डान्डमा में खसरा नं०

19 मिन	15/2	16 मिन	5/1 मिन
3—14 बरानी	4—11 बरानी	17—15 बरानी	4—6 भूड़

353//81	3 मिन	5/1	11 मिन	3 मिन
4—0 चाही	15—11 भूड़	4—6 भूड़	10—16	8—0 भूड़
			बरानी भूड़	
			6—16 4—0	

6 मिन	2	15/1	37/1 मिन	37/2
7—3	9—11 भूड़	9—17	14—0 भूड़	0—19 भूड़
बरानी भूड़		रोड़ भूड़		
3—11 3—12		5—16 4—7		

कुल 114 बिघे 9 बिसवे ($71\frac{17}{32}$) सादा एकड़ व $23—11\frac{3}{4}$ स्टैन्र्ड एकड़ ग्राम भरवी में किला नम्बरान

15	34			
19/1	13	14 मिन	17	18/1
3—15 बरानी	8—0 बरानी	6—14 बरानी	4—6 बरानी	5—8 बरानी

तादादी 24 कनाल 8 मरले सादा एकड़ $3—\frac{1}{20}$ व स्टैन्र्ड एकड़ $1—8—\frac{1}{20}$ ग्राम बीड़ समसपुर में खसरा नम्बरान :—

29	45	48
6—14 बरानी	2—16 बरानी	2—5 बरानी

52	53 मिन	67 मिन	68	69	70
6—11 बरानी	3—18 बरानी	3—0 बरानी	10—13 बरानी	1—14 बरानी	2—19 बरानी

74	72	76	77	78	91
4—18 बरानी	2—19 बरानी	1—18 बरानी	1—14 बरानी	6—5 बरानी	10—6 बरानी

तादादी 68 बिघे 10 बिस्वे जिसके सादा एकड़ $42—\frac{13}{16}$ व स्टैन्ड एकड़ $21—6\frac{1}{2}$ कुल $177—\frac{63}{160}$ सादा एकड़ व $46—10\frac{3}{4}$ स्टैन्र्ड एकड़ रकबा ग्राम डान्डमा, भैरवी तथा बीड़ समसपुर में सरपलस घोषित किया जाता है। नियमानुसार बाद गुजरने म्याद अन्तिम स्टैटमैंट जारी की जावे।

आदेश आज दिनांक 12-12-97 को भरी अदालत में सुनाया गया।

(हस्ता०) . . .,

प्रसक्राईब्ड अथोरटी एवं साधिकार,
कलैक्टर दादरी।